

COURT OF

SUIT NO.

OF

versus

Serial no.	Date of order or proceeding.	Order with the signature of the Court.	Office action taken with date
1	2	3	4

21-2-22

प्रदेश फलक
 नामान्तरण अभिलेख संख्या 786/22-23
 आवेदक श्री रविन्द्र नाथ का पिता स्व रामनाथ का
 गाम दरघर थावा देवघा जिला संताल पर-
 गना वाले का आवेदन देना।
 आवेदन पत्र देखने से पता चलता
 है कि आवेदन पत्र मौजा मौसागढ़ जमाबन्दी
 नाम्बर 6, 2 रकबा 0.5.2 जमीन के
 लिये नामान्तरण पाठने हैं।
 उपरोक्त हल्का कर्मचारी/अपना
 निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन
 दिनांक 9.4.22 तक उपलब्ध हैं।
 सौल है प्रोवा रोखत को नोटीश
 करें, अगर किसी को किसी प्रकार की आपत्ति
 ही तो दिनांक 9.4.22 तक आपत्ति प्रोवा-
 हरनाक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध है प्रोवा
 वाद में किसी तरह के आपत्ति की पुन-
 बाई नहीं होगी। आवेदक की नोटीश
 है कि निपभगत ग्राम का मूल काग-
 जात सुनवाई के निमित्त निरीक्षक की
 उपलब्ध कारिवाल करें।

9.4.22

अभिनेत 5287 किया गया है।
 नामान्तरण प्राप्त हुई। किसी भी दिनांक

Serial no.	Date of order or proceeding.	Order with the signature of the Court.	Office action taken with date.
1	2	3	4

रैमन की ओर से बिक्री गारंटी
 आपत्ति निवारित विधि के अन्तर्गत
 लक्ष प्राप्त नहीं हुआ। हल्का रमिया
 का प्रतिवेदन एवं आवेदन
 द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण के आगजात
 का अवलोकन किया जाया गया
 के अवलोकन से प्रतीत होता
 है कि आवेदन के माँदा मौदा
 गारंटी के अन्तर्गत जॉ. 23 (बिना
 0 व 1 के अन्तर्गत वहाँ की 0.00 के
 जमीन पर स्थित निम्नलिखित के अन्तर्गत
 संख्या 2200 दिनांक 31-2-02
 के द्वारा जॉ. 23 (बिना 0 व 1 के अन्तर्गत
 पं. क्र. 1000 स. अ. ल. से संपर्कित
 की सन्ध्या ने विधायक जमीन
 जमा रकम से प्राप्त किया था।
 हल्का रमिया ने भी विधायक
 जमीन का नामान्तरण आवेदन
 के नाम पर करने की अनुमति
 भी किया है इन सारी बातों
 को मते नगर ररक के द्वारा तथा
 हल्का रमिया के अनुमति एवं
 आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण के
 आगजात के आधार पर माँदा
 मौदा गारंटी के अन्तर्गत जॉ. 23
 दाग नं. 0.5 रकम 0.00 (सो बंध
 साठे पाँच पुर वहाँ की सन्ध्या
 जमीन का नामान्तरण आवेदन
 की सविज्ञापित का पिता ररक
 राम बदन का के नाम से
 किया जाता है। ~~वहाँ की सन्ध्या~~
~~वहाँ की सन्ध्या~~ एवं वार्षिक
 वसुली जमाने 22 आलावे में वसुली
 काम ररक जाता है जो वसुली की
 विधि से देय होगा आवेदन 2-00
 (वीन 00) नामान्तरण शुल्क जमा करे लक्ष
 सुविधित जारी करे।
 जिला मजिस्ट्रेट
 जिला मजिस्ट्रेट

19/4/04
 जे 31-जान
 20/

नाम :- कोलार
 जिला - सैताल पटना
 जमीन का रकबा :- 0-1-2 1/2

खाना नं० 23
 खेत का नाम राम नन्दन ओका
 दाता रकबा जमाना
 8 1/2 0-1-2 1/2 1222

original holding after mutation.

X X X X X

New holding.

23. श्री रविन्द्र नाथ का पिता 8 1/2 0-1-2 1/2 1222
 राम नन्दन का देवदा 2 1/2

✓ O S
 1
 20

सहायक
 जमीन के अंशों को
 हिस्सा है। नामांतरण
 अंशों की जाती है।
 12/8/22
 अ. नि. देवदा

नं० 1414
 आदेशानुसार आवेदन

के आवेदन पत्र का
 मंच किया। मंच से
 पता चला कि आवेदन

में जोमा श्रीलक्ष्मी
 चक लाला के अंश
 वही लक्ष्मी का जमीन
 रकबा 0-1-2 1/2
 जमीन 20 कठ से
 2286 दि 39. 2. 22

द्वारा पैकमू भूषण
 मन्पाल से 292 दि
 का दल का है।
 मन्पाल ने विपगत जमीन
 जोमा रैयत से 20 कठ
 2392 दि 1-92-13 का
 रकबा किया था।

अतः शरीर के बाला
 के आधार पर नामांतरण
 की अंशों की जाती है।

आ. दि.
 12/8/22

3
ग्रँथ ल कार्यालय, देवघर
दिनांक

नामान्तरण मु० सं० /

नीवीश वनाम :-

अप्रावेदक / अप्रावेदिका

सौलहः प्राना रैधत मौजा श्रीसागरी...

वज्ररिधे नीवीश आपलोगों को
आगाह किया जाता है कि अप्रावेदक / अप्रावेदिका
- रवि-इनाथका पिता / पति-रुद्रनाथका ने
मौजा श्रीसागरी - जे० वी० नं० - - - - - एलाह नं० १५५२
रकबा ७-१-७५ जमीन के लिये नामान्तरण करते
हैं। अगर आपलोगों को किसी तरह की
आपत्ति हो तो लिखित आपत्ति अफिसर-महोदय
के कार्यालय में मिलि-अप-अप-वे, अथवा
नाद में किसी तरह की सुनवाई नहीं होगी।
इसे ताकित समझे।

ग्रँथ ल पदाधिकारी
देवघर

राजगीर सिंह

काठक एम

प्रमोद एम

मदन सिंह एम

ना एम